

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालोद (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक / 232 / कोविड-19 / 2022

बालोद, दिनांक 11.01.2022

चूंकि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस एवं नये वेरियण्ट ओमिक्रान के संकरण की रोकथाम हेतु युद्धस्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। जिले के संदिग्ध मरीजों का सैपल जॉच हेतु प्रेषित किया गया था। जिसमें ग्राम पोडी, तहसील बालोद जिला बालोद के मरीज का जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस एवं नये वेरियण्ट ओमिक्रान के संकरण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम पोडी, के मरीज के मकान को नीचे वर्णित चौहदी के अनुसार माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तथा उक्त कन्टेनमेंट जोन के अतिरिक्त 03 कि.मी. की परिधि को बफर जोन घोषित किया जाता है :—

ग्राम पोडी तहसील बालोद

पूर्व दिशा	— जीवराखन का मकान	पश्चिम दिशा	— वासुदेव का मकान
उत्तर दिशा	— लगानी भूमि	दक्षिण दिशा	— गली

02 / कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :—

1. उक्त चिन्हाकिंत क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
2. प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी।
3. कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
4. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा।
5. कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी।
6. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

03 / कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं :—

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	सौंपे गये कार्य
1	श्री बी.के. गोठी	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग क्र.01 बालोद	केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु ब्रेकिंग
2	श्री परमेश्वर मण्डावी	तहसीलदार बालोद	कॉन्टेन ट्रेसिंग
3	श्री सुब्रत प्रधान	मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बालोद	प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाइजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
4	डॉ.शिरिष सोनी	खण्ड चिकित्सा अधिकारी बालोद	स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराना एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन
5	श्रीमती सीमा सिंह	परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बालोद	घरों का एकिटव सर्लिलांस
6	श्री बसंत बाघ	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बालोद	खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था

उपरोक्त समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर उक्त समस्त कार्यों का निर्वहन करेंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बालोद (छ.ग.)

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक जिला—बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
11. जिला सूचना अधिकारी बालोद को शासन द्वारा निर्धारित वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
12. उपसचालक, जनसम्पर्क बालोद को सूचनार्थ एवं रथानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
13. तहसीलदार, बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.पा.प. एवं न.पं बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. स्टेनो टू—कलेक्टर जिला बालोद को सूचनार्थ।
17. सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।
18. कार्यालयीन प्रति।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
४ जिला—बालोद (छ.ग.)